

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प गिरधाटी लालपुरा

157/23

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का काँडेडा व भू.अ.नि. वृत्त काँडेडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चाकसू/नायब तहसीलदार काँडेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम काँडेडा तहसील चाकसू व जिला जयपुर की जमाबंदी सम्वत् 2023-26 में खाता संख्या 107, 23 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	काँडेडा	107, 23	भू.अ.नि. सं. 80 जयराज सिंह	भू.अ.नि. सं. 80 दशरथ सिंह

शिविर प्रभारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (अधिकारी)
चाकसू, जयपुर।

दि 17.12.23

क्रमांक:- 21/12/23
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, तहसील चाकसू को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री भू.अ.नि. सं. 80 दशरथ सिंह को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

शिविर प्रभारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू, जयपुर।